प्रधान सचिव, कृषि कोषांग
E-Mail
1833
10 MAY 2019
बिहार

संचिका संख्या e.gov/CFMS-4/18........4212.........

बिहार सरकार

वित्त विभाग

<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक 10/05/19

विषय :— Comprehensive Financial Management System (CFMS) के अंतर्गत पूर्ण प्रमाणकयुक्त विपत्रों एवं डी0सी0 विपत्रों के साथ सब—भाउचर्स की स्कैन्ड प्रति संलग्न कर कोषागार में ऑनलाईन सबमिट करने की प्रक्रिया के संबंध में।

CFMS लागू होने से पूर्व बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम—135 के अनुसार रू0 1000/— से अधिक के मूल सब—भाउचर्स (कैशमेमो, बिल आदि) कोषागार विपत्रों के साथ कोषागार में प्रेषित किया जाता था। रू0 1000/— के नीचे की राशि के सब—भाउचर्स कार्यालय में संधारित किये जाते थे। पूर्ण प्रमाणयुक्त विपत्रों पर उन सभी भाउचर्स की विवरणी दर्ज की जाती थी जिनके विरूद्ध कोषागार विपत्र पर निकासी की जाती थी। इसी प्रकार डीसी विपत्र के साथ रू0 5000/— से उपर के मूल सब—भाउचर्स संलग्न करते हुए कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि CTMIS में ऑनलाईन विपत्रों के साथ भौतिक विपत्र की मूल प्रति भी कोषागार में प्रेषित किया जाता था।

2. CFMS के अंतर्गत कार्यालय द्वारा तैयार विपत्र ऑनलाईन कोषागार में सबमिट किया जाता है तथा विपत्र की भौतिक प्रति कोषागार को नहीं भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में विपत्रों के साथ सब—भाउचर्स की मूल प्रति संलग्न कर कोषागार एवं अंततः महालेखाकार को भेजना संभव नहीं है। इसलिए CFMS के अंतर्गत ऑनलाईन विपत्रों को साथ संलग्न किये जाने वाले मूल सब—भाउचर्स की स्कैन्ड प्रति ऑनलाईन CFMS में अपलोड करने एवं कोषागार में सबमिट करने की व्यवस्था की गयी है।

3. <u>भाउचर्स एवं सब—भाउचर्स</u> : कोषागार से राशि की निकासी हेतु प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एक विहित विपत्र पर भुगतान का दावा तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाता है। भुगतान के दावे के समर्थन में डीडीओ द्वारा कैशमेमो/बिल/इनवायस/भुगतान प्राप्तकर्ता से प्राप्त प्राप्ति रसीद को "Passed for Rs......" तथा "Paid and Cancelled" अंकित कर कोषागार विपत्र के साथ संलग्न कर कोषागार भेजा जाता है, जहाँ से कोषागार मासिक लेखा के साथ महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है। Paid and Cancelled करने के बाद कैशमेमो/बिल/इनवायस आदि सब—भाउचर्स कहलाता है तथा कोषागार से भुगतान के बाद कोषागार विपत्र को भाउचर्स कहा जाता है। इस तरह स्पष्ट है भुगतान के बाद कोषागार विपत्र को भाउचर्स तथा डीडीओ कैशमेमो/बिल/इनवायस को सब—भाउचर्स कहा जाता है।

4. CFMS के अंतर्गत किये गये उपर्युक्त महत्वपूर्ण Business Process Re-engineering के आलोक में विपत्रों के साथ संलग्न किये जाने सब—भाउचर्स की मूल प्रति के स्थान पर स्कैन्ड प्रति ऑनलाईन कोषागार में सबमिट करने तथा मूल प्रति को संबंधित कार्यालय में संधारित करने की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :—

x. कोषागार विपत्रों के साथ संलग्न सभी राशियों वाले सब–भाउचर्स को महालेखाकार अंकेक्षण दल, वित्त अंकेक्षण दल या अन्य जाँच दल और जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

xi. वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 2158, दिनांक 01.03.2019 के द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन बिहार कोषागार संहिता, 2011 के उपर्युक्त प्रावधानों से संबंधित नियमों को संशोधित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक– 5212 पटना, दिनांक 10/05/19

प्रतिलिपि– 1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना।
2. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, बिहार, पटना।
3. सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना।
4. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
5. सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार।
7. सभी कार्यालय प्रधान/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3/कृ0–बजट–विविध–23/2016 (खण्ड–क) 1803 /कृ0, पटना, दिनांकः – 6/6/ 2019

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार पटना/ निदेशक, उद्यान/भूमि संरक्षण/ पी0पी0एम0/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कर्मशाला, पटना/निदेशक, बीज प्रमाणन एजेंसी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), पोस्ट हार्वेस्ट, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (पौ0सं0), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण/ मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी /

D:\year -2014\feb 2015\22-10-2014.docx

सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/उप निदेशक (कम्पोस्ट), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/सभी उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक– सह– संयुक्त नियंत्रक, माप–तौल, पटना/ मुजफ्फरपुर /भागलपुर/उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (शष्य), बीज विश्लेषण प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/सभी सहायक कृषि निदेशक–सह–उप नियंत्रक, माप तौल/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को वित्त विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांकः–4212 दिनाकः–10.05.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 6/6/19

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1803 /कृ०, पटना, दिनांकः – 6/6/ 2019

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

6/6/19

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\year -2014\feb 2015\22-10-2014.docx